

11-9-19

पत्रावली पेश हुई। जर्मनी के वकिल  
उपस्थित हुए। अपाधी अनुपादितों से  
अपाधी की ओर से वकालत का पत्र  
पढ़ी हुआ है, अपाधीगण का तीस-वाट  
आवाज मगवाए गए - : निम्नलिखित -

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुक्म  
मे

फिर भी कोई उपस्थिति नहीं हुआ। अतः  
 प्राथमिकता के विरुद्ध मूक अपील (अपील)  
 अमल में लाई जाती है। प्राथमिकता के  
 मूक अपील खदेके सूनी गई। विवादों को  
 सुझाई मौझा खजायिका पहला हलफनाम  
 की जमाबन्दी सम्बन्ध 2072-75 का  
 आराजी नं० 1584 रकबा <sup>0081</sup> हलफनाम  
 खयुवत खातदार मुझी है इसका मूक  
 अपील अन्तर्गत धारा 138 P.T. Act के तहत  
 न्यायालय में विचार विचारित है।  
 प्राथमिकता का अपलोकेत करने से  
 मूक अपील खदेके परमनतकर रहे  
 अपील विचारित जाते हैं कि दोनों पक्ष  
 मूल वाद के निस्तारण तक रिकोर्डि खदेके  
 मौका ही रहेगी प्रभावित बनाई रहे।  
 अपील को मूल वाद के निस्तारण  
 तक जरूरी अस्थाई निवेदावली के  
 प्रावण किया जाते हैं। जहाँ पर फेरान  
 शुमार होकर मूक से कम होवे तब  
 मूल वाद का के साथ जारी है

अपण्ड अधिकारी  
 खरवाडा जि उदयपुर